

प्राप्ति क्रमांक :

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

जारी दिनांक :

प्रशासनिक कार्यालय : तृतीय तल, MPS Int. स्कूल,

प्राप्ति दिनांक :

तिलक नगर, जयपुर, फोन नं. 2621644 (Whatsapps No.01412623500)

पंजी. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर

महेश सेवा कोष के अन्तर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र 2025-28

1. आवेदक का नाम पत्नी/पुत्र गोत्र.....
2. निवास का पता चौकडी जोन नं.....
3. मोबाईल नं..... मकान स्वयं का/किराये का मासिक किराया रु.....(किरायानामा की कॉपी संलग्न करें)
4. जयपुर में निवास की अवधि मूल निवास स्थान.....
5. परिवार में कुल सदस्यों की संख्या- अविवाहित विवाहित.....
6. सहायता की आवश्यकता का कारण
7. परिवार के सदस्यों की कुल मासिक आय.....
8. समाज सदस्य क्रमांक.....

पासपोर्ट
साईज फोटो

परिवार में कमाने वाले सदस्यों के व्यवसाय या नौकरी का विवरण

- (i) नाम.....व्यवसाय या सर्विस.....
नियोक्ता फर्म मालिक का नाम/पता.....मो. नं.....फर्म का पेन
व्यवसाय या सर्विस से प्राप्त आय रुपये.....
 - (ii) नाम.....व्यवसाय या सर्विस.....
नियोक्ता फर्म मालिक का नाम./पतामो. नं.....फर्म का पेन
व्यवसाय या सर्विस से प्राप्त आय रुपये.....
8. कब से सहायता ले रहे हैं
 9. पूर्व में कौनसी सहायता ली गई
 10. प्रार्थी द्वारा अभी किस मद में सहायता चाही गई है

11. परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्र.स.	नाम	संबंध	उम्र	सर्विस/व्यवसाय	मासिक आय	छात्र की स्कूल का नाम / कक्षा
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

12. परिवार में उपयोग लिये जाने वाले वाहनों की संख्या
मोटरसाईकिल/स्कूटर/कार.....

हस्ताक्षर आवेदक

नोट: फार्म के सम्पूर्ण कॉलम भरकर नियम के अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

13. अपनी चौकड़ी के समाज कार्यकारिणी सदस्य (2025-28) की अनुशंसा :-

(सभी समाज कार्यकारिणी सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि 'महेश सेवा कोष' के सहायता फार्म के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका सत्यापन स्वयं के विवेक से करें क्योंकि समाज हित सर्वोपरि है ताकि वास्तविक जरूरतमंद को सहायता का लाभ मिल सकें)

टिप्पणी : मैंने उपरोक्त तथ्यों की फार्म में संलग्न दस्तावेज की जाँच कर ली है। सहायता दी जा सकती है/नहीं दी जा सकती है।

टिप्पणी :

चौकड़ी संयोजक का नाम चौकड़ी संयोजक हस्ताक्षर.....

टिप्पणी :

चौकड़ी कार्यकारिणी सदस्य का नाम चौकड़ी कार्यकारिणी सदस्य के हस्ताक्षर

टिप्पणी :

..... स्वीकृत / अस्वीकृत.....

..... दिनांक :

जोन संयोजक

हस्ताक्षर

संदीप मूंदड़ा

महेश सेवा कोष मंत्री

नियम व शर्तें

1. विधवा सहायता हेतु पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है तथा किसी प्रकार की पारिवारिक आय नहीं होने पर ही सहायता देय होगी।
2. स्थानीय माहेश्वरी परिवारों की जिनकी कुल मासिक आय रु.10,000/- रुपये है। ये ही परिवार शिक्षा एवं चिकित्सा सहायता के पात्र हैं।
3. उपरोक्त सहायता का भुगतान आवेदक को NEFT द्वारा किया जाता है। अतः आवेदनकर्ता स्वयं का बैंक खाता संख्या व IFSC कोड अवश्य दें।
4. परिवार के सभी सदस्यों के समस्त बैंक खातों का 1 अप्रैल, 2025 से अब तक का बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य है।
5. पेन कार्ड, जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड की कॉपी लगाना अनिवार्य है।
6. शिक्षा व चिकित्सा सहायता के बिल 2 माह से अधिक पुराने होने पर बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. चिकित्सा बिल राजकीय अस्पतालों अथवा महेश अस्पताल के ही मान्य होंगे।
8. बिजली के बिलों की विगत 1 वर्ष की फोटोकॉपी यदि किराये का मकान होने की स्थिति में स्वयं के बिजली खपत का बिल मकान मालिक से सत्यापित करवाकर संलग्न करना आवश्यक है।
9. वेतन प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें एवं आवेदनकर्ता (आयकर दाता हैं तो) रिटर्न फाइल संलग्न करना अनिवार्य है।
10. वेतन प्रमाण पत्र पर फर्म की स्टैम्प व पैन कार्ड नम्बर, फर्म मालिक का नाम, पता व मोबाइल नं. व ई-मेल अंकित होना आवश्यक है।
11. महेश सेवा कोष समिति द्वारा आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति की जांच निष्पक्षता से की जायेगी, क्योंकि समाज का उद्देश्य जरूरतमंद समाज बंधुओं की वित्तीय सहायता करना ही है। यदि समिति ने जांच के दौरान पाया कि आवेदनकर्ता को वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं है तो महेश सेवा कोष से सहायता नहीं दी जायेगी। समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
12. सहायता स्वीकृत करने की अधिकतम प्रक्रिया अवधि 2 माह है।
13. शपथ पत्र भरना अनिवार्य है।

शपथ पत्र

मैं, भगवान महेश को साक्षी मानकर घोषणा करता हूँ कि उक्त दी गई जानकारी मेरे अनुसार पूर्णतः सत्य है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता पाई गई तो मेरे द्वारा प्राप्त की गई समाज की सहायता की राशि लौटाने को जिम्मेदार हूँ व समाज को भविष्य में दी जाने वाली सहायता राशि को बंद करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

शपथग्रहिता
(आवेदनकर्ता)